# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादड़ी जिला प्रतापगढ़(राज.)

| हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
| --- | --- |
| अपराह्न में आई पुकार पत्रावली में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश किया जो शा. प. लिया जाकर पत्रावली दिनांक 18.7.18 को पेश हो। | |
| पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित पत्रावली में संलग्न पेश की गई पत्रावली का अवलोकन किया गया इकबालिया जवाब पूर्व में पेश है वादी का दावा डिक्री किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। | |

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादड़ी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छोटीसादडी जिला प्रतापगढ
पीठासीन अधिकारी– दिनेशकुमार मण्डोवरा, आर. ए. एस.
उपखण्ड अधिकारी छोटीसादडी जिला प्रतापगढ

प्रकरण संख्या 142/09 ई.रे.

1 प्रतापराम पिता गंगाराम जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा तह. छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज.
2 गंगाराम पिता देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा तह. छोटीसादडी जिला प्रतापगढ राज.

.... वादीगण

बनाम

1 रतनलाल पिता कालु जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
2 लिम्बा पिता कालु जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
3 दल्ला पिता देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
4 कालु पिता देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
5 गंगाराम पिता देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
6 उदा पिता देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
7 तुलसीराम पिता देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
8 रामलाल पिता देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
9 लक्ष्मी बेवा देवा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
10 मग्गा पिता किशना जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
11 प्रताबी बेवा नन्दा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
12 उदा पिता नन्दा जी जाति रावत उम्र वयस्क निवासी सालेडा
13 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील छोटीसादडी

..... प्रतिवादीगण

वाद अंतर्गत धारा 88,188,209 राज. काश्त. अधि.

उपस्थित– बाबुलाल पालीवाल अधिवक्ता वादी
धर्मचन्द्र नाहर अधिवक्ता प्रतिवादी

निर्णय दिनांक १४.१.१४

निर्णय

वादीगण की और से एक वाद इस आशय के साथ अंतर्गत धारा 88,188, 209 राज0 काश्त0 अधि0 का पेश किया कि वाके मोजा सालेडा तह. छोटीसादडी की खाता संख्या 84 मे आराजी नम्बर 285 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा स्थित है उक्त आराजी भेरा, देवजी, कालु पिता पेमा 3/4 एवं किशना, मन्ना पिता बाबरू 1/4 के खातेदारी मे दर्ज है उक्त आराजी को खातेदार एवं उनके मरने के बाद उनके वारिसान ने वादी संख्या 1 प्रतापराम नाबालिग वली गंगाराम को जरिये रजि. विकय पत्र से दिनांक 19.12.82 को 3000 रूपये मे विकय कर कब्जा वादीगण को दे दिया एवं नामान्तरण संख्या 233 से वादी संख्या 1 के नाम खातेदारी मे भी दर्ज करने का आदेश हो गया था। तभी से वादीगण काबिज हो काश्त करते चले आ रहे है उक्त वर्णित आराजियात वादीगण को कालु, देवा, रामा, नन्दा एवं भग्गा ने विकय की थी एवं विधिवत विकय पत्र की

तहसील छोटीसादडी का भु प्रबंधक विभाग द्वारा पेमाईशी कार्य किया गया दोराने पेमाईश आराजी नम्बर 285 रकबा 5 बीघा 7 बिस्वा के नवीन आराजी नम्बर 671 रकबा 0.86 हे. आराजी नम्बर 672 रकबा 0.26 हे. हुए वादीगण की और से वाद पत्र के साथ विकय पत्र की फोटोकापी नकल जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल पेश किया था।

वादीगण की और से वाद पेश हुआ एवं दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सम्मन नोटिस जारी किये गये दिनांक 12.12.05 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की और से धर्मचन्द्र नाहर अधिवक्ता की और से अपना वकालात नामा पेश किया गया एवं दिनांक 25.3.06 को प्रतिवादी संख्या 5 से 9 एवं 11 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल मे लाई गई पुन दिनांक 26.5.16 को प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7, 8, 10,12 की और से इकबाली जवाब दावा पेश हुआ पत्रावली केम्प कोर्ट मे प्रस्तुत हुई एवं दिनांक 11.9.18 को वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हेतु नीयत हुई। वादीगण द्वारा दिनांक 5.7.18 को जल्द सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसमे वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा कोई आपत्ति नही की गई एवं पत्रावली को दिनांक 9.7.18 को वास्ते जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हेतु नीयत किया गया दिनांक 9.7.18 को प्रतिवादीगण की और से कोई उपस्थित नही हुआ एवं प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया जाकर एकतरफा कार्यवाही की जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी हेतु नीयत की गई उक्त दिनांक को ही वादीगण ने अपना शपथ पत्र पेश किया व सभी दस्तावेज को शपथ पत्र की रूह से प्रदर्शित कराया साथ मे असल विकय पत्र को पेश किया जिसे देखा गया व प्रदर्शित किया गया वादीगण का सन 1982 से ही खरीदशुदा आराजियात पर कब्जा चला आ रहा है आराजियात को भु प्रंबधक विभाग की पेमाईश से पुर्व रजि. विकय पत्र से राजस्व अभिलेख मे अंकित खातेदारान से खरीदी गई थी एवं खरीद के बाद से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है यानि की वादीगण का पिछले 34 वर्षो से कब्जा चला आ रहा है एडवर्स पजेशन की रूह से भी वादीगण खातेदार काश्तकार हो चुके है एवं राजस्व अभिलेख मे अपना नाम अंकित कराने के अधिकारी है वादीगण ने उक्त वाद बाबत घोषणा का पेश किया। वादीगण खरीदशुदा आराजियात जिसके नवीन आराजी नम्बर 671 रकबा 0.86 हे. आराजी नम्बर 672 रकबा 0.26 हे. अपने नाम की घोषणा कराकर राजस्व अभिलेख मे अपने नाम अंकित कराने के अधिकारी है।

प्रतिवादीगण के दिल मे वक्त वाद बदयान्ती आ जाने से व जबरन कब्जा करने की धमकी देने से वादीगण ने प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा की दाद भी चाही गई है वादीगण द्वारा पेश दस्तावेज को अगर देखा जावे तो वादीगण ने रजि. विकय पत्र से आराजियात को खरीद की एवं खरीद के बाद से ही वादीगण का कब्जा चला आ रहा है ऐसे हालात मे प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी न्यायोचित प्रतीत होता है।

वादीगण की और से वकील वादीगण की बहस सुनी गई वादीगण के वकील ने दोराने बहस

नकल जमाबंदी पेश की जिसे शपथ पत्र की रूह से प्रदर्शित कराई वादीगण वादग्रस्त आराजियात के खातेदार काश्तकार हो चुके है एवं घोषणा कराने के अधिकारी है एव राजस्व अभिलेख मे वादीगण अपने नाम अंकन कराने के अधिकारी है साथ ही प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से भी पांबद कराने के अधिकारी है।

वादीगण के वकील की बहस एवं दस्तावेज को देखते हुए वादीगण का वाद डिकी किये जाने योग्य है दस्तावेजी साक्ष्य भी वादीगण के पक्ष मे है एवं पिछले 34 वर्षो से लगातार वादीगण का कब्जा वादग्रस्त आराजियात पर लगातार चला आ रहा है प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना भी न्यायोचित है वादीगण का वाद खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

अत वादीगण की और से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य एवं शपथ पत्र के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण के पक्ष मे डिकी किया जाता है कि वादीगण के हक मे प्रतिवादीगण के खिलाफ मोजा सालेडा तह. छोटीसादडी की आराजी नम्बर 671 रकबा 0.86 हे. आराजी नम्बर 672 रकबा 0.26 हे. वादीगण के पक्ष मे डिकी किया जाता है एवं इसी अनुसार वादीगण के नाम उक्त वर्णित आराजियात घोषित की जाकर राजस्व अभिलेख मे वादीगण के नाम अंकित कि जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के उक्त वर्णित आराजियात मे जबरन कब्जा न करे न करावे इस अमर की डिकी वादीगण के पक्ष मे जारी की जाती है खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे डिकी अलग से तरतीब की जावे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 18.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छोटीसादडी